

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में  
सी०एम०पी० संख्या—३२३ / २०१९

ललन भोक्ता

..... याचिकाकर्ता

बनाम

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक और अन्य के माध्यम से  
..... विपक्षीगण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन

याचिकाकर्ता के लिए : श्री नंद किशोर प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता

सी०सी०एल० के लिए : श्री अमित कुमार सिन्हा, ए०पी०पी०

०३ / २४.०१.२०२०

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अनजाने में वह समय के भीतर टाइप की गई कॉपी दाखिल नहीं कर सका, जिसके लिए डब्ल्यू०पी० (एस०) ५८६३ / २०१७ को खारिज कर दिया गया था और इसलिए वह पुनःस्थापन के लिए प्रार्थना करता है।

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस आशय का आवेदन कि वह आज से एक सप्ताह के भीतर उचित टाइप की गई प्रति दाखिल करेगा, पर विचार करते हुए डब्ल्यू०पी० (एस०) ५८६३ / २०१७ को अपनी मुल फाइल में पुनःस्थापित करने के लिए

इच्छुक हूँ बशर्ते कि वह मुख्य आवेदन में आज से दो सप्ताह के भीतर टाइप की गई प्रति  
दाखिल करेगा।

त्वंनुसार, सिविल विविध याचिका की अनुमति है।

(आनंदा सेन, न्याया०)